

**उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेद अधिनियम, 2010
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन 2010 रैगिंग के लिए शासित**

रैगिंग के लिए शासित

जो कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी शैक्षणिक संस्था में भीतर या उसके बाहर रैगिंग करता है, या उसमें भाग लेता है, या दुष्प्रेरित करता है, या उसका प्रचार करता है, उसे दो वर्ष तक के किसी भी प्रकार का कारावास या रु 10,000/- (रु दस हजार) तक के जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जायेगा ।

निटेशक

सावधान

इस संस्थान में धूम्रपान तथा नशीले पदार्थ (मद्यपान) पूर्णतः प्रतिबंधित है यदि कोई छात्र प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप संस्थान परिसर के भीतर या उसके बाहर धूम्रपान अथवा मद्यपान करता है या उसका प्रचार करता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।

निदेशक

सावधान

इस संस्थान में छात्रों द्वारा संस्थान परिसर के भीतर अथवा हास्टल में लाइसेन्स युक्त अग्नेयास्त्र सहित समस्त प्रकार के हथियार रखना जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है ।

निदेशक